2025/144

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री रघुवीरसिंह
निवासी अचपुरा
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 20 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.05.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 01.02.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम भीमाना पटवार हल्का भीमाना, भू–अभिलेख निरीक्षक हल्का भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 892 का तहसीलदार द्वारा किया गया आवंटन आदेश दिनांक 04.01.2003 की प्रमाणित प्रति दिलवाने से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 01.02.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम भीमाना पटवार हल्का भीमाना, भू–अभिलेख निरीक्षक हल्का भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 892 का तहसीलदार द्वारा किया गया आवंटन आदेश दिनांक 04.01.2003 की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों के तहत नहीं है तो सकारण सकारात्मक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से खारिज हो। Signature Not Verified Digitally signed by Alpa Choudhary Date: 2025.09.19 18:00:11 IST Reason: SelfAttested (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner